

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर-प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्या: 25/2017

GCMS No.—2017/00240

- 1 काली देवी पुत्री स्व० श्री रामनाथ आयु 35 वर्ष जाति मीणा, निवासी ग्राम श्योपुर तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
- 2 श्रीमती पपूडी देवी पुत्री स्व० रामनाथ आयु 33 वर्ष जाति मीणा, निवासी प्लॉट संख्या 163, मीणों की ढाणी, शिव मन्दिर सेक्टर-16, पानी की टंकी के पास, प्रताप नगर सांगानेर, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

- 1 बोदूराम पुत्र स्व० रामनाथ आयु 55 साल,
- 2 बिरधीचन्द पुत्र स्व० रामनाथ आयु 50 साल,
3. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व० रामनाथ, आयु 45 साल,
समस्त जातियान मीणा निवासी ग्राम गोविन्दपुरा, पटवार हल्का, लुणियावास, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोनेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (राज०)
- 4 रेखा मीणा पत्नि पूरणमल, आयु वयस्क जाति मीणा, निवासी 92 भगवान विहार, गोनेर रोड, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
- 5 तहसीलदार सांगानेर, जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील बनाराजगी तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर दिनांक 26.07.2013 नामान्तरकरण संख्या 325 के विरुद्ध अपील।

उपस्थित:-

1. श्री जगमोहन आलोरिया अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री भौरीलाल शर्मा अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या 4 की ओर से।
3. श्री प्रहलाद रावत पैरोकार सरकार रेस्पा० संख्या 5 की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 28.12.2022

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार सांगानेर के निर्णय दिनांक 26.07.2013 जिससे नामान्तरकरण संख्या 325 वाके ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ रोपाडा, तहसील सांगानेर रेस्पाडेन्ट संख्या 4 के नाम खोले जाने से असंतुष्ट होकर दिनांक 01.10.2015 को इस न्यायालय में धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी करने तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट संख्या-1 ल. 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। रेस्पा० संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता श्री भौरीलाल शर्मा उपस्थित आये। रेस्पा० संख्या 5 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन आराजी के अपीलांट एवं रेस्पा० संख्या 1 लगायत 3 के पिता स्व० रामनाथ हिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार

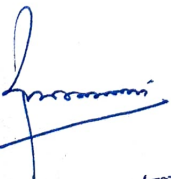


अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

थे। अपीलाधीन आराजीयात का राजस्व रिकॉर्ड में अपीलांट व रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 3 के स्व0 पिता रामनाथ एवं उनके भाई पूरा के नाम संवत् 2015 से 2034 तक अंकन चला आ रहा है। स्व. रामनाथ का देहान्त दिनांक 11.09.1990 को हो गया एवं अपीलांट व रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 3 के पिता रामनाथ की मृत्यु के बाद उपरोक्त आराजीयात के हिस्सा 1/2 पर काबिज होकर काशत करते चले आये हैं एवं अपीलांट व रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 3 की माताजी का भी देहान्त हो गया एवं स्व. रामनाथ की मृत्यु के बाद उनके जीवित वारिसान में अपीलांट व रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 3 ही रहे हैं। पक्षकारों के मध्य अभी तक मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर एवं राज0 टीनेन्सी प्रावधानों के तहत बंटवारा नहीं हुआ है। रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 3 के पिता की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तकरण राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलकर अपने नाम विरासत का नामान्तकरण संख्या 31 दिनांक 24.01.1992 को तस्दीक करवा लिया। नामान्तकरण संख्या 31 तस्दीक होने के पश्चात रेस्पा0 संख्या 3 ने अपीलाधीन भूमि का बेचान रेस्पा0 संख्या 4 को कर दिया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त बेचान के आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 325 आदेश दिनांक 26.07.2013 को तस्दीक कर दिया। जिसकी जानकारी अपीलांट को दिनांक 01.08.2014 को हुई जिस पर अपीलांट द्वारा नकल प्राप्त कर माननीय न्यायालय में अपील पेश की है। अपीलाधीन आराजी में अपीलांट के हक अधिकार होने एवं स्व. रामनाथ की जायन्दा पुत्रिया होने के बावजूद नामान्तकरण संख्या 31 व अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 325 तस्दीक किये गये हैं जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय अपीलांट को बिना नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर विरासत का नामान्तकरण तस्दीक कर दिया। अतः अपील अपीलांट अन्दर मियाद स्वीकार की जाकर सहायक तहसीलदार सांगानेर द्वारा निर्णित नामान्तकरण संख्या 325 दिनांक 26.07.2013 को निरस्त फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया सिविल अपील संख्या 6901/2022 Kamla neti (Dead) Thr. Lrs. vs special Land Acquisition officer पेश किया।

दौराने बहस रेस्पाडेन्ट संख्या- तीन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने दलील दी कि अपीलाधीन नामान्तरकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर भरा जाकर रेस्पा संख्या 4 के पक्ष में स्वीकार किया गया है, इसमें कोई गलती अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट ने यह भी दलील दी कि अपीलाधीन नामान्तरकरण जिस दिन स्वीकार किया है, उस दिन किसी न्यायालय का स्थगन आदि भी विवादित भूमि पर नहीं था। अपीलांट द्वारा अपील में यह कही भी नहीं कहा गया कि रजि0 विक्रय पत्र का नामा0 क्यों गलत है। अपीलांट व रेस्पा0 के हक अधिकार दावे में तय होंगे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज की जावे।




अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकार करने में क्या त्रुटि की है, अपीलांत अधिवक्ता साबित नहीं कर पाये है। नामान्तरकरण जैसी फिसकल प्रोसीडिंग्स में किसी के हक व अधिकार सुनिश्चित नहीं किये जा सकते। अपील अपीलांत खारिज की जावे।

विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष के दौराने बहस किये गये कथनो पर गौर किया तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध मूल नामान्तरकरण का आद्योपान्त का अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। न्यायहित में अपीलांत द्वारा प्रस्तुत धारा 5 अवधि अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित है एवं अपील अन्दर मियाद मानी जाती है। तहसीलदार सांगानेर द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 325 ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ रोपाडा, तहसील सांगानेर के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त नामान्तरकरण मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर भरा जाकर प्रस्तुत होने पर दिनांक 26.07.2013 को तहसीलदार सांगानेर द्वारा स्वीकार किया गया है। रेस्पा0 अधिवक्ता द्वारा घोषणा का वाद पक्षकारान के मध्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर में विचाराधीन होना अपील में जाहिर किया है। वैसे भी नामान्तरकरण की कार्यवाही फिसकल प्रोसीडिंग्स है जिसमें किसी के हक, हकूक अधिकार के बिन्दु को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है और न ही इस बावत क्षेत्राधिकार न्यायालय में निहित है। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अपीलांत के हक, हकूक अधिकार किसी प्रकार से है तो भी अधिकारों की घोषणा नियमित वाद में ही की जा सकती है। अपील अपीलांत द्वारा विवादित भूमि पर अपने हक अधिकार के बिन्दु पर कोई ठोस साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलांत द्वारा रजि0 विक्रय पत्र को लेकर आदिनांक तक किसी सक्षम न्यायालय में चैलेंज किया जाना जाहिर नहीं किया एवं ना ही इस संबंध में कोई दस्तावेज/साक्ष्य अपीलांत द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकार करने में क्या त्रुटि की है, अपीलांत अधिवक्ता साबित नहीं कर पाये है। इसलिए रजि0 विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किये गये अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने या उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलांत खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार सांगानेर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश कुमार शर्मा)
अति.कलक्टर-प्रथम,
जयपुर

